FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आअदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजगढ़ जिला चूरू

सुरेश कुमार आदि बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल0आर0 एक्ट नम्बर मुकदमा 238 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
10-2-2020	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का प्रार्थी सुरेश कुमार व हनुमान प्रसाद पुत्रगण माणकचंद जाति नाई निवासीगण कस्बा राजगढ़ जिला चूरू नें इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि ख0नं0 34 तादादी 6.29 हैक्टेयर वाके रोही मौजा झूंगली तहसील राजगढ़ जिला चूरू में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी सं. 1 सुरेश कुमार का गलत नाम सुरेन्द्र तथा पिता का नाम नानकराम व प्रार्थी सं. 2 हनुमान प्रसाद का गलत नाम हनुमान प्रसाद पुत्र नानकराम तथा प्रार्थी के भाई बाबूलाल का नाम बाबूलाल पुत्र नानकराम व महेन्द्र का महेश पुत्र नानकराम भूलवश राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो लिपिकिय भूलवश दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी व प्रार्थी के भाई के दस्तावेजात जैसे मतदाता सूचि, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे प्रार्थी सं. 1 का असल व रिकार्डेड नाम सुरेश पुत्र माणकचंद, प्रार्थी सं. 2 का हनुमान प्रसाद माणकचंद व प्रार्थी के भाई बाबूलाल का बाबूलाल पुत्र माणकचंद व महेश पुत्र माणकचंद दर्ज है, का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थना पत्र का अवलोकन के बाद प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होनी पाई जाती है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि ख0नं0 34 तादादी 6.29 हैक्टेयर वाके रोही मौजा झूंगली तहसील राजगढ़ जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम सुरेन्द्र पुत्र नानकराम के स्थान पर सुरेश पुत्र माणकचंद, हनुमान प्रसाद पुत्र नानकराम के स्थान पर हनुमानप्रसाद पुत्र माणकचंद व प्रार्थी के भाईयों बाबूलाल पुत्र नानकराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र माणकचंद व महेश पुत्र नानकराम के स्थान पर सही नाम महेन्द्र पुत्र माणकचंद शुद्ध किया जावे। तद्नुसार दुरूस्ती हेतु तहसीलदार, राजगढ़ को लिखा जाकर पालना करवाई जावे। बाकी इन्द्राजात यथावत रहेगे। मिसल फैसल [illegible]	